

2025 437

फर्द अहकाम
(नियम 15)

मिनि
22.06.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
महेन्द्र बेहड़ा बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 3/6 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">om</p>	
30.06.2025	<p>बार संघ का कार्य स्थगन होने पर पत्रावली पूर्णानुसार दिनांक 02.07.2025 को पेश हो।</p>	
22.07.20	<p>कुलार् क्वीरेन उपरिक्ता स्टेट जाकाय सुप्ट हुक्मा कदम सुनी गरी पत्रावली का अक्लेश विभागाया पत्रावली पर उपलब्ध दिक्क आरि के आधार पर वाद वी डिक्क किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्या अलग से लिखाया जाकर शाणिल प्रकृति किया जाके पत्रावली नम्बर से काम की जाकर वाद तामिक तकरीब जाकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">om</p>	

